

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

21 सितम्बर, 2020 (ई०)

सोमवार, तिथि

[द्वितीय (मानसून) सत्र]

30 भाद्र, 1942 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

--: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारंकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)-शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)-श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह एवं श्री उमाशंकर अकेला,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (05)-श्री प्रदीप यादव,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)-श्री लम्बोदर महतो एवं श्री इन्द्रजीत महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)-श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (08)-डॉ०सरफराज अहमद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

कृ०पृ०30

-: समितियों का गठन :-

(09)-झारखण्ड विधान-सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(10)-प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरौँव,प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक,महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2017-2018 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा का सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन,वित्तीय वर्ष-2017-2018 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा वित्त लेखे भाग-I, II एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन,वित्तीय वर्ष-2017-2018 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा राज्य वित्त का प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष-2018-2019 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा राज्य वित्त का प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष-2018-2019 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा वित्त लेखे भाग-I, II एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन,जिसे विधान-सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदया के पास भेजा है,को सदन पटल पर रखता हूँ। झारखण्ड विधान-सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

- (11)-मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री आलमगीर आलम,द्वारा **Jharkhand Advocate's Clerks Welfare Fund Rules,2020** की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (12)-मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री आलमगीर आलम,द्वारा झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,राँची के वित्तीय वर्ष-2017-2018 एवं 2018-2019 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (13)-मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री आलमगीर आलम,द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2002 की धारा-14 के अधीन वित्तीय वर्ष-2018-2019 अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

- (14)-मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री आलमगीर आलम, द्वारा झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-244(2) के अधीन पंचम् झारखण्ड विधान-सभा के द्वितीय (बजट सत्र) में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (15)-झारखण्ड विधान-सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (16)-याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

--: वित्तीय कार्य :-

- (17)-वित्तीय वर्ष-2020-21 के प्रथम अनुपूर्क व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
[कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है]

--: विधायी कार्य :-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2020

- (18)-मंत्री प्रभारी (योजना-सह-वित्त) डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (19)-मंत्री प्रभारी (योजना-सह-वित्त) डॉ० रामेश्वर उरौंव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (20)-मंत्री प्रभारी (योजना-सह-वित्त) डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2020" पर विचार हो।
- (21)-मंत्री प्रभारी (योजना-सह-वित्त) डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2020" स्वीकृत हो।
- (22)-अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

महेन्द्र प्रसाद

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची

कृ०पृ०30

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०६/२०२०-१६५०/वि०स०,रौंघी,दिनांक-२०/९/२०.....

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,रौंघी/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंघी/ लोकसभा/राज्यसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त
विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय
२०/०९/२०

(छोटे लाल डूढ़)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंघी।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०६/२०२०-१६५०/वि०स०,रौंघी,दिनांक-२०/९/२०.....

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय
कार्यालय को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय
२०/०९/२०

(छोटे लाल डूढ़)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंघी।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०६/२०२०-१६५०/वि०स०,रौंघी,दिनांक-२०/९/२०.....

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय
२०/०९/२०

(छोटे लाल डूढ़)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंघी।

3/20/20
20/09/2020